COURSE NAME – B.Ed. – 1st year SESSION – 21-23

SUBJECT - C-02

TOPIC NAME – मुदालियर आयोग / माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

DATE - 27-01-22

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)
मुदालियर आयोग

PAGE NO.
DATE :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। परन्तु देश शिक्षाविदों एवं विद्वानों का मत था कि माध्यमिक शिक्षा की जाँच की जाए। जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान प्रणाली की जाँच करने और उसके पुनर्गठन एवं सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए 23 सितम्बर 1952 को डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की विस्तृत जाँच की और अपने सुझावों एवं संस्तुतियों को 15 अध्यायों एवं 224 पृष्ठों में प्रतिवेदन तैयार किया जिसे 29 अगस्त 1953 ई० को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग के जाँच के विषय

भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसके प्रत्येक पहलू की जाँच करना और सुधार हेतु सुझाव देना

आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियाँ

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोषों का उल्लेख किया है—

(1) यह संकीर्ण एवं एकांगी है और छात्रों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में असमर्थ है।

(2) पाठ्यक्रम छात्रों को अपने वातावरण के प्रति सूझ प्रदान नहीं करता है।

(3) शिक्षण विधियाँ जो सामान्यतः व्यवहार में आ रही है, स्वतः प्रेरणा में असफल रही है।

4 कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि से शिक्षक एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुआ है इससे अनुशासन की वृद्धि में गम्भीर रूप से क्षति पहुँची है।

5 परीक्षाओं पर अधिक बल परम्परागत पाठ्यक्रम यांत्रिक और अजीवंत शिक्षण विधियां।

उद्देश्य

(1) लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास
(2) व्यावसायिक कुशलता को उन्नति
(3) व्यक्तित्व का विकास
(4) नेतृत्व के लिए शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक स्वरूप —

PAGE NO.
DATE :

इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की

1. माध्यमिक शिक्षा 4 अथवा 5 वर्ष की प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ होनी चाहिए।
2. वर्तमान इण्टरमीडिएट स्तर को उच्चतर माध्यमिक स्तर द्वारा बदल दिया जाना चाहिए।
3. जो उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिए व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश खुले होने चाहिए।
4. सभी राज्यों के ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। और इन पाठ्यक्रमों में बागवानी पशुपालन और कुटीर उद्योग को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम

मिडिल स्कूल स्तर →

इस स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिए।

(1) भाषाएँ — मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी जहाँ हिन्दी मातृभाषा है वहाँ छात्र अन्य भाषा पढ़ेंगे।

2 सामाजिक विज्ञान
(3) सामान्य विज्ञान
(4) गणित
(5) कला तथा संगीत
(6) शिल्प (7) शारीरिक शिक्षा।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर

कुछ निश्चित संख्या में कोर विषय सभी छात्रों के लिए सामान्य होने चाहिए।

भाषाएँ —

(1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
(2) एक अन्य भाषा जो निम्नलिखित में से चुनी जाय।
(i) (a) हिन्दी (उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)
(b) प्रारंभिक अंग्रेजी
(c) उच्च अंग्रेजी
(d) एक आधुनिक भारतीय भाषा - हिन्दी के अतिरिक्त
(e) एक आधुनिक विदेशी भाषा
(f) एक शास्त्रीय भाषा

(ii) (a) सामाजिक अध्ययन
(b) सामान्य विज्ञान

(iii) निम्नलिखित सूची से एक शिल्प चुना जाए

(a) कताई एवं बुनाई
(b) लकड़ी का काम
(c) धातु कार्य
(d) बागवानी
(e) टेलरिंग
(f) मार्डलिंग

इसके अतिरिक्त निम्न विषयों में से तीन विषय चुनने होंगे।

मानव जीव - एक शास्त्रीय भाषा, इतिहास भूगोल नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र ; मनोविज्ञान एवं तर्कशास्त्र, गणित, संगीत, गृह विज्ञान

विज्ञान — भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, भूगोल, गणित

तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाएँ।

शिक्षण की विधियाँ

1) विद्यालय में शिक्षण की विधियों का उद्देश्य केवल सही ढंग से ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है वरन् छात्रों में कार्य की आदत उचित अभिवृत्ति और मूल्यों में वृद्धि करना भी होना चाहिए।

2 छात्रों में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और पूर्णता से करने की इच्छा उत्पन्न करना।

3. छात्रों में सीखने के लिए सक्रियता और जन जिसे वे कक्षा कक्ष में व्यावसायिक उपयोग के अवसर प्रदान करें।

4 छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए शिक्षण विधियों को प्रयोग करने के विवेकपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए।

5 छात्रों को समूह में कार्य करने के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और समूह योजनाएँ एवं क्रियाएँ लागू करनी चाहिए जिसमें समूह जीवन और सहकारी कार्य के लिए आवश्यक गुण विकसित हो सकें।

अनुशासन —

1 अनुशासन की उन्नति की दिशा में शिक्षकों और छात्रों के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ़ होने चाहिए।

(4) सभी विद्यालयों में मानिटर्स और छात्र परिषदों के रूप में स्वशासन प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा

धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में केवल ऐच्छिक आधार पर और विद्यालय से बाहर दी जा सकती है। तथा प्रबन्धकों एवं मातापिता की सहमति से दी जायेगी।

परीक्षाएँ —

1 बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम होनी चाहिए और निबन्धात्मक प्रकार के परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को लागू करके और प्रश्नों के प्रकार में भी परिवर्तन करके कम किया जाना चाहिए।

PAGE NO.
DATE :

2 छात्रों के अन्तिम मूल्यांकन में आन्तरिक परीक्षाओं को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(3) बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं में अंकात्मक आकन के स्थान पर सांकेतिक प्रणाली अपनानी चाहिए।

1 माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं प्रगति से सम्बन्धित मामलों में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य निकटतम सहयोग होना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रदत्त अंशदान आयकर कानून से मुक्त होना चाहिए।

3. केन्द्र एवं राज्य सरकारें जहाँ संभव हो विद्यालयों को खेल के मैदानों स्कूल भवनों अथवा कृषि - फार्मों एवं अन्य आवश्यक उद्देश्य के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान करें।

1 आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करके उसमें व्याप्त दोषों का निर्भीकता से उल्लेख किया तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव देकर आयोग ने उसे दोषमुक्त बनाने का

प्रयास किया

2. आयोग ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया।

3. देश के औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर बल

4. देश की भाषा समस्या के समाधान हेतु भाषाओं के अध्ययन पर सुझाव प्रस्तुत किए।

5 आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को एक पूर्ण इकाई मानते हुए उसके लिए नवीन संगठनात्मक संरचना का सुझाव देकर माध्यमिक शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया।

6. आयोग ने पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए विशेष बल दिया।

7 भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि को विशेष महत्व देते हुए माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान देने एवं ग्रामीण कृषि विद्यालय खोलने का सुझाव दिया।

(1) आयोग ने विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीन भाषाएँ एवं 4 आन्तरिक विषय और एक अन्य समूह के पढ़ने की संस्तुति से पाठ्यक्रम बोझिल हो गया है।

(2) स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किए।

(3) आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया